भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत् निकाय
डाकघर : न्यू फॉरेस्ट, देहरादून – 248 006 (उत्तराखण्ड), भारत

तात्कालिक साक्षात्कार

मीडिया एवं विस्तार प्रभाग, भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् मुख्यालय भवन, में **17 जनवरी 2022 को प्रातः 11:00 बजे से** *"Operationalisation of Forestry Extension Strategy and Action Plan for ICFRE"* घटक के अंतर्गत एक कनिष्ठ परियोजना अध्येता (JPF) की भर्ती हेतु एक तात्कालिक साक्षात्कार आयोजित किया जा रहा है।

पद	शैक्षिक अर्हताएं / अनुभव	समग्र अध्येतावृत्ति / वृत्ति प्रतिमाह (रू. में)	अवधि
कनिष्ठ परियोजना अध्येता (JPF)	एम.एससी – biological science/wood science/forestry/agriculture extension/extension & communication वांछनीयः एम.एस. ऑफिस, रिपोर्ट लेखन, मीडिया रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया संचालन के कार्य का ज्ञान।	रू. 20,000/- (बीस हजार) मात्र + एच.आर.ए.	02 वर्ष

नियम एवं शर्तेः

1. केवल भारतीय नागरिक ही पात्र हैं।
2. 01.06.2022 को आयु सीमा 28 वर्ष है (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./महिलाओं और दिव्यांगजन को आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट है)।
3. इच्छुक अभ्यर्थी अपने रिज्यूमे की स्कैन की हुई प्रति के साथ दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों और हालिया पासपोर्ट साइज की 01 फोटोग्राफ के साथ अपने स्वहस्ताक्षरित आवेदन को निश्चित रूप से **14.01.2022 को अथवा उससे पहले adg_mx@icfre.org पर ईमेल के माध्यम** से प्रस्तुत करें।
4. यह पद विशुद्ध रूप से अस्थायी और घटक की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाने वाला है।
5. अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर कोई भी कारण बताए बिना उ.म.नि. (विस्तार), भा.वा.अ.शि.प. द्वारा किसी भी समय पद को समाप्त किया जा सकता है।
6. उपरोक्त अस्थायी पद के लिए भर्ती भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् (भा.वा.अ.शि.प.) के नियमों और विनियमों द्वारा नियंत्रित होती है और इसके पश्चात परिषद् में रोजगार की गारंटी नहीं देती है।
7. इच्छुक अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाणपत्रों, अंकतालिकाओं तथा प्रत्येक की स्व–सत्यापित फोटोकॉपी के साथ जीवन–वृत्त और हालिया पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ चयन समिति के समक्ष उपस्थित हों।
8. तात्कालिक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।
9. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए अनंतिम प्रमाणपत्र/डिग्री प्रमाणपत्र/मूल अंक पत्र के बिना अभ्यर्थी को साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
10. चयनित अभ्यर्थी के अनुबंध का आदेश निधि की उपलब्धता और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन जारी किए जाएंगे। विज्ञापन में उल्लिखित कार्यकाल अस्थायी है और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
11. यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में या उसके पश्चात यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है, तो बिना कोई कारण बताए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, चयन प्रक्रिया के संबंध में भा.वा.अ.शि.प. का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। परिषद् द्वारा इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. किसी भी रूप में चयनकर्ताओं पर प्रभाव डालने का प्रयास (canvassing) अभ्यर्थी को अयोग्य कर देगा।

स.म.नि. (मीडिया एवं विस्तार),
विस्तार निदेशालय,
भा.वा.अ.शि.प., देहरादून